उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार।

(जिला विकास शाखा)

आदेश।

माननीय सांसद श्री सुनील कुमार सिंह, चतरा लोक सभा क्षेत्र के अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय का ज्ञापांक-126/जि0वि0 दिनांक-12.04.2016 के द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद अन्तर्गत लातेहार जिला के बारियातु प्रखंड में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, बारियातु के लिये Godrej Company के 3 seater 100(सौ) अद्द बेंच डेस्क के क्रय हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से सीलबन्द निविदा आमंत्रित की गई थी।

2. दिनांक-14.05.2016 को उप विकास आयुक्त, लातेहार के अध्यक्षता में उक्त विद्यालय के लिये क्रय किये जाने वाले बेंच-डेस्क हेतु निविदा में तीन इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा निविदा प्राप्त हुआ। निविदा निष्पादन के क्रम में M/S Shruti Sales, Main Road Latehar द्वारा न्युनतम मो0-11,400.00(ग्यारह हजार चार सौ) का दर समर्पित किया गया। माननीय सांसद के द्वारा उक्त विद्यालय में 100 अद्द बेंच डेस्क हेतु मो0-4,50,000.00 (चार लाख पचास हजार) रु0 मात्र का अनुशंसा किया गया है जबकि Godrej Company के 3 seater 100(सौ) अद्द बेंच डेस्क के लिये परियोजना लागत मो0-11,40,000.00 रु0 होगी।

3. माननीय सांसद के द्वारा परियोजना लागत से कम राशि की अनुशंसा एवं इस कार्यालय का ज्ञापांक-126/जि0वि0 दिनांक-12.04.2016 के द्वारा प्रकाशित निविदा की कंडिका-10 में निहित शर्तो के आलोक में दिनांक-14.05.2016 को उप विकास आयुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, बारियातु के लिये Godrej Company के 3 Seater 100(सौ) अद्द बेंच डेस्क के क्रय हेतु निविदा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

ह0/–

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :- 193 /जि0वि0 दिनांक :- 26.05.2016

प्रतिलिपिः- M/S Shruti Sales, Main Road Latehar को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त आदेश को लातेहार जिला के बेवसाईट पर Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास,अभिकरण, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निविदा में प्राप्त सुरक्षित राशि को निविदादाता को वापस करने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/16

उपायुक्त, लातेहार।